

हिमाचल प्रदेश सरकार
राज्य कर एवं आबकारी विभाग

संख्या: ई0एक्स0एन0-ए (3)-3/2023-लूज तारीख शिमला-02

25/03 | 2026

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्वोक्त अधिनियम की सलग्न अनुसूची-1 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त अनुसूची" कहा गया है) में तुरन्त प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

संशोधन

हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान अधिनियम, 1999 की उक्त अनुसूची में विद्यमान मद संख्या 22 के स्तम्भ संख्या 3 के अधीन कर की दर निम्नलिखित रूप से रखी जाएगी:-

क्रम संख्या	वस्तुएं	कर की दर
22.	बोतलों में बंद पेयजल	3 रुपये प्रति दस लीटर ।

आदेश द्वारा

देवेश कुमार
प्रधान सचिव (राज्य कर एवं आबकारी)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन संख्या: ई0एक्स0एन0-ए(3)-2023-लूज

तारीख: शिमला-02.

25/03 | 2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:-

1. आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी, हि0 प्र0, शिमला-09
2. संयुक्त सचिव (सामान्य प्रशासन) हि0 प्र0 सरकार को मन्त्रीमण्डल की बैठक दिनांक 07.03.2026 की मद संख्या: 41 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
3. अतिरिक्त/संयुक्त/उप/सहायक आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी, हि0 प्र0।
4. संरक्षण नरिस्त।

(दलीप कुमार नेगी)

विशेष सचिव (राज्य कर एवं आबकारी)
हिमाचल प्रदेश सरकार।